

**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT
(AMENDMENT) BILL, 2010**
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of section 24-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.-For the existing section 24-A of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"24-A. Power of transfer.- (1) Any officer or servant of a Trust may be transferred by the State Government from one Trust to another Trust in accordance with the rules made under section 74.

(2) Any officer or servant of a Trust may, in accordance with the rules made under section 74, be transferred by the State Government to a Municipality or the Jaipur Development Authority or the Jodhpur Development Authority or the Rajasthan Housing Board or any other local authority on a post carrying pay scale not lower than the pay scale of the officer or servant to be transferred:

Provided that the lien of the officer or servant so transferred shall remain in the parent Trust and he shall be considered for further promotion whenever a consideration

for promotion to the higher post in his cadre is made in that Trust."

3. Amendment of section 72, Rajasthan Act No. 35 of 1959.-In section 72 of the principal Act,-

- (a) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of sub-section (1), the punctuation mark ":" shall be substituted; and
- (b) after the existing sub-section (1), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the State Government, if it is satisfied that it is expedient in the public interest so to do, may, by notification in the Official Gazette, exempt any class of improvement from obtaining permission in writing under the provisions of section 73."

4. Amendment of section 73, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- In section 73 of the principal Act,-

- (a) in sub-section (8),-
 - (i) for the existing expression "one month", the expression "two month" shall be substituted; and
 - (ii) for the existing expression "fifteen days", the expression "one month" shall be substituted; and
- (b) in sub-section (9), for the existing expression "to the Collector", the expression "to Divisional Commissioner or to any other officer authorized by the State Government in this behalf by notification in the Official Gazette" shall be substituted.

5. Addition of sections 73-C and 73-D, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing section 73-B of the principal Act, the following new sections shall be added, namely:-

"73-C. Provision of rain water harvesting. – (1)

In every building constructed on a plot of land exceeding three hundred square metres in an urban area after the commencement of the Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Act, 2010 (Act No. of 2010), it shall be

compulsory to install a rain water harvesting system of such type and specifications as may be prescribed by the State Government having regard to the area and use of the land and keep such system always in working condition:

Provided that if the State Government, having regard to the ground water level in a particular area, is of the opinion that installation of rain water harvesting system in such area is not appropriate, it may, by notification in the Official Gazette, exempt such area from the operation of the provisions of this section.

(2) The Trust shall not grant any permission for development required under the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder unless provision for rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been made in the site plan and maps and the person seeking permission undertakes to install such system and furnishes security for the same to the satisfaction of the Trust.

(3) Every owner of the building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that a rain water harvesting system of the type and specifications prescribed under sub-section (1) has been installed in the building and is operational.

(5) Any development of land in an urban area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which rain water harvesting system is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both.

Explanation.- For the purposes of this section, 'rain water harvesting system' means any structure or apparatus or both, including roof top structure and under ground tank, constructed or installed to collect rain water either for domestic use or for percolation into earth for the purpose of recharging ground water.

73-D. Provision of parking space.- (1) In every building constructed in an urban area after the commencement of the Rajasthan Urban Improvement (Amendment) Act, 2010 (Act No. of 2010), it shall be compulsory to provide such parking space as may be prescribed by the State Government:

Provided that the State Government may, having regard to the area of land and situation and use of building, exempt, by notification in the Official Gazette, any building or class of buildings from the provisions of this section.

(2) The Trust shall not grant any permission for development required under the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder unless provision for parking space as prescribed under sub-section (1) has been

made in the site plan and maps and the person seeking permission undertakes to provide such parking space and furnishes security for the same to the satisfaction of the Trust.

(3) Every owner of the building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, shall, after completion of such building, obtain a completion certificate in the prescribed manner and no such building shall be occupied unless and until such certificate has been obtained.

(4) The officer or authority authorized to issue completion certificate under sub-section (3) shall not issue such certificate unless he is satisfied that parking space as prescribed under sub-section (1) has been provided in the building.

(5) Any development of land in an urban area made or continued in contravention of the provisions of this section shall be deemed to be an unauthorized development for the purposes of this Act.

(6) No permanent water connection from any public water supply system shall be permitted in a building, for which provision of parking space is compulsory under the provisions of this section, unless the owner or occupier thereof produces a completion certificate issued under sub-section (3).

(7) Any person who contravenes any provision of this section shall, on conviction and without prejudice to any other action that may be taken against him under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, be punishable with imprisonment which may extend to seven days or with fine which shall not be less than rupees twenty five thousand but which may extend to rupees one lakh or with both."

6. Amendment of section 74, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- For the existing clause (jj) of sub-section (1) of section 74 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(jj) for prescribing the conditions under which the officers and employees of a Trust may, under section 24-A, be transferred from one Trust to another Trust or to a municipality or to the Jaipur Development Authority or the Jodhpur Development Authority or to the Rajasthan Housing Board or to any other local authority ; "

7. Amendment of section 89-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- In section 89-A of the principal Act,-

(a) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Any person who whether at his own instance or at the instance of any other person, or any department of Government, undertakes or carries out any improvement of any land in any urban area, in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 72, or in contravention of any condition subject to which permission for undertaking or carrying on any improvement has been granted under section 73, shall be punishable with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees or with both and in the case of a continuing offence with further fine of five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence:

Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in

the judgment impose a sentence of imprisonment for a term less than fifteen days." ;

- (b) in sub-section (2), for the existing expression "with fine which may extend to two thousand rupees.", the expression "with simple imprisonment which shall not be less than fifteen days but which may extend to forty five days or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both:" shall be substituted ; and
- (c) after sub-section (2), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than fifteen days."

8. Insertion of new section 90-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing section 90 and before the existing section 91 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"90-A. Power to seal unauthorized improvement.-

(1) The Trust may, at any time before or after making an order to stop any improvement under sections 73-A, 90, 91-B and 91-C, make an order directing the sealing of such improvement in the prescribed manner, for preventing any dispute as to the nature and extent of such improvement.

(2) Any person aggrieved by an order under sub-section (1) may appeal to the Divisional Commissioner against the order within 30 days from the date of the order of the Trust and the Divisional Commissioner may after hearing the parties to the appeal either dismiss the appeal or may reverse or vary the whole or any part of the order.

(3) Where any improvement has been sealed, the Trust or the officer authorized by it in this behalf may for

the purpose of removing or discontinuing such development, order the seal to be removed.

(4) No person shall remove such seal except-

- (a) under an order of the Trust or the officer authorized under sub-section (3); or
- (b) under an order of the Divisional Commissioner or the State Government as the case may be.

(5) Any person who contravenes the provisions of sub-section (4) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to twenty five thousand rupees.

9. Amendment of section 91, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- In section 91 of the principal Act,-

- (a) for the existing expression "fine which may extend to five hundred rupees, or with simple imprisonment, for a period of six months", the expression "simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three months or with fine which shall not be less than twenty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees" shall be substituted; and
- (b) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month."

10. Amendment of section 91-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- In section 91-A of the principal Act, for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

- " (3) Any person aggrieved by an order of the Divisional Commissioner made under sub-

section (2) may, within 30 days from the date of the order, file a revision petition before the State Government so as to challenge the legality or propriety of such order and the State Government may, after hearing the parties to the revision, pass such order as it may deem fit and the order of the State Government shall be final."

11. Amendment of section 92-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- In section 92-A of the principal Act,-

- (a) in sub-section (1),-
 - (i) for the existing expression "one month", wherever occurring, the expression "three months" shall be substituted; and
 - (ii) for the existing expression "which may extend to twenty thousand rupees", the expression "which shall not be less than thirty thousand rupees or with both" shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), for the existing expression "two thousand rupees", the expression "five thousand rupees" shall be substituted;
- (c) in sub-section (4),-
 - (i) for the existing expression "may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees", the expression "shall not be less than two months but which may extend to six months or with fine which shall not be less than thirty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees" shall be substituted; and
 - (ii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than two months."; and

(d) in sub-section (16),-

(i) for the existing expression "may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees", the expression "shall not be less than three months but which may extend to three years or with fine which may extend to thirty thousand rupees" shall be substituted; and

(ii) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of the existing proviso, the punctuation mark ":" shall be substituted and thereafter the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than three months."

12. Insertion of new section 93-B, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing section 93-A and before the existing section 94 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"93-B. Power to call for records.- (1) The State Government or any officer not below the rank of the Secretary to the Government authorized in this behalf by the State Government, may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order or resolution passed or purporting to have been passed, under this Act by or on behalf of the Trust, call for the relevant record, and may, in doing so, direct that

pending the examination of such record, such order or resolution shall be kept in abeyance and no action in furtherance thereof shall be taken until such examination by the State Government or by the officer authorized in this behalf by the State Government and the passing of order under sub-section (2):

Provided that record relating to an order or a resolution shall not be called for under this sub-section after the expiry of three years from the date of such order or resolution.

(2) After examining the record, the State Government or the officer authorized as aforesaid may rescind, reverse or modify such order or resolution and the order of the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Trust."

13. Deletion of section 95-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.-The existing section 95-A of the principal Act shall be deleted.

14. Insertion of new section 104-A, Rajasthan Act No. 35 of 1959.- After the existing section 104 and before the existing section 105 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"104-A. General power of control by State Government.- Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government shall have general power of control over the Trust and may give such directions as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and it shall be the duty of the Trust to comply with such directions."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 was enacted about a half century ago. Though it was amended from time to time yet it is felt that certain provisions of it need further improvement to make them compatible with the present circumstances.

Section 24-A of the Act provides for transfer of employees of one Trust to another Trust or Jaipur Development Authority. It is proposed that this section be amended to provide for transfer of the officers and servants of the one Trust to another Trust as well as to other local authorities, i.e. Municipalities, Jaipur Development Authority or Jodhpur Development Authority or the Rajasthan Housing Board, accordingly section 24-A and section 74 are proposed to be amended suitably.

Section 72 of the Act provides that no improvement shall be carried out in the urban area without the written permission of the Trust. It is felt that this provision causes hardship to the persons who desire to carry out minor improvements which either have no impact or have only negligible impact on spatial planning. Therefore, it is considered appropriate to empower the State Government to exempt in appropriate cases, certain class of improvement from the requirement of the provision under section 73. Accordingly a proviso is proposed to be added in section 72(1).

Section 73 of the Act provides for deemed permission in cases where the applicant has given notice to the Trust after the expiry of one month from the date of application and a period of fifteen days has expired after such notice. This deeming permission has become a major source of irregular improvements. The existing period of one month and fifteen days is very short and looking to the volume of applications under this section, it does not provide sufficient time to consider the application and take decision. Therefore, it is proposed that this period of one month and fifteen days be enhanced to be two months and one month respectively. Appeal of an order made under this section lies to the

Collector. In order to bring the provision in line with the other provision of this Act, it is proposed that aforesaid order may be made appealable to the Divisional Commissioner, or an officer authorized by State Government.

The State Government has felt that due to continued shortfall of rain in the State there is acute shortage of water therefore ground water level has decreased considerably, hence it is necessary to adopt measures for harvesting of rain water by installing water harvesting system. Therefore, it is proposed that in every building constructed on a plot of area exceeding three hundred square metres water harvesting system should be compulsorily installed having regard to the area and use of land. It is also considered appropriate to empower the State Government to exempt a particular area from installing water harvesting system which, in the opinion of the State, is not appropriate for such system having regard to the groundwater level. If any person fails to install such system, he shall be punished with imprisonment which may extend to seven days or with fine which may extend to one lakh rupees or with both. Apart from this, it is also proposed that without obtaining completion certificate and installation of such system no permanent water connection shall be permitted Accordingly a new section 73-C is proposed to be inserted in the Act.

It is general tendency of owners of buildings not to provide required parking space in a building. It is proposed that unless provision for parking space has been made in site plan and maps, permission for development shall not be granted and no building shall be occupied without obtaining completion certificate and without providing parking space and any development made or continued shall be deemed to be an unauthorized development and no permanent water connection shall be permitted in building without providing parking space. It is also considered appropriate to empower the State Government to exempt any building or class of buildings from providing parking space having regard to the area of land and situation and use of building. If any person fails to

provide parking space, he shall be punished with imprisonment which may extend to seven days or with fine which may extend to one lakh rupees or with both Accordingly a new section 73-D is proposed to be inserted in the Act.

Unauthorized constructions are rampant in the urban areas. Despite, the orders of the Trusts to stop unauthorized constructions they are continued. To combat with this problem a bi-forked policy is proposed to be adopted. Accordingly, a new section 90-A is proposed to be inserted in the Act so as to empower the Trust to seal the on going unauthorized construction on one hand and on the other hand sections 89-A, 91 and 92-A are proposed to be amended so as to enhance the existing punishments and also to provide minimum punishment in certain cases. Where minimum punishment has been provided, a discretion has been given to the Court to impose a punishment lesser than the minimum provided punishment for adequate or special reasons to be recorded in the judgment.

Sub-section (3) of section 91-A provides that the decision of Divisional Commissioner shall be final. This causes hardship to public. Hence it is proposed that aggrieved person may file revision petition before State Government.

Since the lowest court in the State is that of the Magistrate of the first class, provisions of section 95-A has now become redundant therefore are proposed to be deleted.

To ensure effective control and supervision of the State Government over the functioning of the Trust, it is proposed to insert a new section 93-B so as to give State Government powers of revision of the resolutions or orders of the Trust and officers thereof and also to empower the State Government to give such directions to the Trusts as may be considered necessary or expedient by the State Government for carrying out the purposes of this Act, by inserting a new section 104-A.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

'kkafr

/kkjhoky]

Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clause 5 of the Bill, which seeks to insert new sections 73-C and 73-D in the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, if enacted, shall empower the State Government to prescribe type and specifications of rain water harvesting system, and the parking space and the manner in which completion certificate shall be obtained with regard to the buildings for which installation of rain water harvesting system and provision of parking space is compulsory under the aforesaid sections 73-C and 73-D.

Clause 6 of the Bill, which seeks to substitute clause (jj) of sub-section (1) of section 74 of the aforesaid Act, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the conditions under which the officers and employees of a Trust may be transferred from one Trust to another Trust or to a municipality or to the Jaipur Development Authority or the Jodhpur Development Authority or to the Rajasthan Housing Board or to any other local authority.

Clause 8 of the Bill, which seeks to insert a new section 90-A in the aforesaid Act if enacted, shall empower the State Government to prescribe the manner in which an unauthorized development may be sealed.

The delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

शांति धारीवाल,

Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN URBAN
IMPROVEMENT ACT, 1959
(Act No. 35 of 1959)**

XX XX XX XX

24-A. Power of transfer.- The officers and employees of a Trust may be transferred, by the State Government from one Trust to another or to the Jaipur Development Authority in accordance with the rules made under section 74.

XX XX XX XX

72. Restriction on improvement in urban areas.- (1) In an urban area, no improvement shall be undertaken or carried out by any person or department of the Government unless—

- (i) it is in accordance with the master plan where it is in operation; or
- (ii) it is in accordance with the scheme sanctioned and notified under section 38; or
- (iii) where neither any master plan nor any scheme is in force, it is according to the general approval of the Trust,

and unless permission for undertaking or carrying out such improvement has been obtained in writing under the provisions of section 73.

(2) XX XX XX XX

73. Application for permission.- (1) to (7) XX

XX XX XX XX XX

(8) Where in any urban area, an application for undertaking or carrying out an improvement is made to the Trust in the prescribed form and with the prescribed fees and after the receipt of the application the Trust neglects or omits for one month to grant permission or to reject the application for reasons to be recorded by it, the applicant may, by a written communication, call

the attention of the Trust to the omission or neglect, and if such omission or neglect continues for a further period of fifteen days from the date of such communication, the Trust shall be deemed to have permitted the proposed work absolutely and such work may be proceeded within the manner specified in the notice:

Provided that nothing herein contained shall be construed to authorise any person to act in contravention of any other provision of this Act or the rules and regulations made thereunder, relating to any matter other than the requirement of obtaining permission of the Trust before undertaking or carrying out any improvement under this Act.

(9) Any person aggrieved by an order of the Trust giving permission subject to conditions imposed by it or refusing to give permission under this Act, may appeal to the Collector, within thirty days from the date of the order giving or refusing such permission, exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof. No such order shall be called in question otherwise than by such appeal.

(10) XX XX XX XX
 XX XX XX XX XX

74. Power of Government to make rules.— (1) The State Government may make rules consistent with this Act—

(a) to (j) XX XX XX XX
 (jj) for prescribing the conditions under which the officers and employees of a Trust may, under section 24-A, be transferred from one Trust to another or to the Jaipur Development Authority.

(k) to (p) XX XX XX XX
 (2) XX XX XX XX
 XX XX XX XX XX

89-A. Penalty for improvements in contravention of the Act.— (1) Any person who whether at his own instance or at the instance of any other person, or any department of Government, undertakes or carries out any improvement of any land in any

urban area, in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 72, or in contravention of any condition subject to which permission for undertaking or carrying on any improvement has been granted under section 73, shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing offence, with further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

(2) Any person who uses any land or building in contravention of sub-section (2) of section 72, or in contravention of the terms or conditions prescribed by regulation under the proviso to that sub-section, shall be punishable with fine which may extend to two thousand rupees.

XX XX XX XX

91. Penalty for non-compliance with notice under section 90.-If any person, after due notice given under section 90 does not stop erection, alteration or addition, or does not demolish or alter any building or wall he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees, or with simple imprisonment, for a period of six months or with both and the said unauthorised construction shall be demolished or altered by the order of the Magistrate dealing with the case if so requested by the Trust.

91-A. Order of demolition of buildings, etc. - (1) to (2)
XX XX XX XX

(3) The decision of the Divisional Commissioner in the appeal shall be final and shall not be questioned in any Court:

Provided that where any officer of the Trust threatens to remove or demolish, or otherwise cause any injury to, an erection, the person aggrieved may file an application for the adjudication of the dispute to the Divisional Commissioner within thirty days of the communication or knowledge of such threat. The decision of the Divisional Commissioner shall be final.

92-A. Encroachment or obstruction upon public land.-

(1) Whoever-

- (a) makes or continues to make any encroachment in any land or space not being private property, whether such land or space belongs to or vests in the Trust or not, except steps over drain in any public street, or
- (b) having made such encroachment before coming into force of the Rajasthan Urban Improvement (Second Amendment) Act, 1991, fails to remove such encroachment within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Trust,

shall on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees:

Provided that the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month.

(2) Whoever-

(a) makes or continues to make any obstruction in any land or space not being private property, whether such land or space belongs to or vests in the Trust or not, except steps over drain in any public street; or

(b) having made such obstruction before coming into force of the Rajasthan Urban Improvement (Second Amendment) Act, 1991 fails to remove such obstruction within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Trust, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

(3) XX XX XX XX

(4) Whoever not being duly authorised in that behalf removes earth, sand or other material from any land or space as

aforesaid, shall be punished on conviction with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

(5) to (15) XX XX XX XX

(16) Whoever, being an employee of the Trust, specifically entrusted by an order of the Trust in writing with the duty to stop or prevent the encroachment or obstruction punishable under this section, wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such encroachment or obstruction, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both:

Provided that no court shall take cognizance against such employee for the offence punishable under this sub-section except with the previous sanction of the Trust.

(17) XX XX XX XX

XX XX XX XX

95-A. Cognizance of offence.- No court other than that of a Magistrate of the first class shall by any offence against this Act.

XX XX XX XX

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2010 का विधेयक सं.19

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 की धारा 24-क का संशोधन.-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं 35), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 24-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"24-क स्थानान्तरण करने की शक्ति-(1) किसी न्यास के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को धारा 74 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी एक न्यास से दूसरे न्यास में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(2) किसी न्यास के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को धारा 74 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी नगरपालिका या जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान आवासन बोर्ड या किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में ऐसे पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा जिसका वेतनमान स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के वेतनमान से निम्नतर न हो:

परन्तु इस प्रकार स्थानान्तरित किये गये अधिकारी या कर्मचारी का धारणाधिकार पैतृक न्यास में बना रहेगा और जब कभी भी उस न्यास में उसके संवर्ग में उच्चतर पद पर

पदोन्नति के लिए विचार किया जाये तो उसकी आगे की पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।"।

3. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 की धारा 72 का संशोधन-मूल अधिनियम की धारा 72 में,-

- (क) उप-धारा (1) के अन्त में आये विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और
- (ख) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में समीचीन है तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सुधार के किसी भी वर्ग को धारा 73 के उपबंधों के अधीन लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने से छूट प्रदान कर सकेगी।"।

4. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 की धारा 73 का संशोधन-मूल अधिनियम की धारा 73 में,-

- (क) उप-धारा (8) में,-
- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक मास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो मास" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पन्द्रह दिन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक मास" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ख) उप-धारा (9) में विद्यमान अभिव्यक्ति "कलक्टर को" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड आयुक्त को या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 में धारा 73-ग और 73-घ का जोड़ा जाना-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 73-ख के पश्चात् निम्नलिखित नयी धाराएं जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

"73-ग वर्षा जल संग्रहण का उपबंध- (1) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं.) के प्रारंभ के पश्चात् किसी नगरीय क्षेत्र में तीन सौ वर्ग

मीटर से अधिक के भू-खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में, ऐसे प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए विहित की जाये, स्थापित करना और ऐसी प्रणाली को सदैव चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा :

परन्तु यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसे क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करना उचित नहीं है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र को इस धारा के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(2) न्यास, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन विकास के लिए अपेक्षित कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कि स्थल योजना और नक्शों में उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के लिए व्यवस्था न की गयी हो और अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति ऐसी प्रणाली स्थापित करने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए न्यास के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन विहित प्रकार की और विशिष्टताओं वाली वर्षा जल संग्रहण प्रणाली उस भवन में स्थापित कर ली गयी है और वह चालू हालत में है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी नगरीय क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति, जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'वर्षा जल संग्रहण प्रणाली' से, छत के ऊपर की संरचना और भूमिगत टैंक को सम्मिलित करते हुए, या तो घरेलू उपयोग के लिए या भूमिगत जल का पुनर्भरण करने के प्रयोजन के लिए भूमि में अंतःस्रवण के लिए वर्षा जल एकत्र करने हेतु संनिर्मित या स्थापित कोई संरचना या साधित्र, या दोनों अभिप्रेत हैं।

73-घ पार्किंग स्थान का उपबंध-(1) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सं.....) के प्रारंभ के पश्चात् किसी नगरीय क्षेत्र में संनिर्मित प्रत्येक भवन में ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये :

परन्तु राज्य सरकार, भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी

भी भवन या भवनों के वर्ग को इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) न्यास, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन विकास के लिए अपेक्षित कोई भी अनुज्ञा तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कि स्थल योजना और नक्शे में उप-धारा (1) के अधीन विहित किये गये पार्किंग स्थान के लिए व्यवस्था न की गयी हो, और अनुज्ञा चाहने वाला व्यक्ति ऐसा पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने का जिम्मा नहीं लेता और इसके लिए न्यास के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति नहीं देता।

(3) भवन, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना अनिवार्य है, का प्रत्येक स्वामी ऐसे भवन के पूर्ण होने के पश्चात्, विहित रीति से एक पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा और ऐसा कोई भी भवन तब तक अधिभोग में नहीं लिया जायेगा जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया गया हो।

(4) उप-धारा (3) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी ऐसा प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाये कि उप-धारा (1) के अधीन यथा विहित पार्किंग स्थान उस भवन में उपलब्ध करा दिया गया है।

(5) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में किसी नगरीय क्षेत्र में भूमि का किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा।

(6) ऐसे भवन में, जिसके लिए इस धारा के उपबंधों के अधीन पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, किसी भी लोक जल प्रदाय प्रणाली से कोई भी स्थायी जल-संबंध तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका स्वामी या अधिभोगी, उप-धारा (3) के अधीन जारी किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर दे।

(7) कोई व्यक्ति जो इस धारा के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, और किसी भी अन्य कार्रवाई, जो इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे

जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।"।

6. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 की धारा 74 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (अ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(अ) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन किसी न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों को, धारा 24-क के अधीन किसी एक न्यास से दूसरे न्यास या किसी नगरपालिका या जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान आवासन बोर्ड या अन्य किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया जा सकेगा, विहित करने के लिए;"।

7. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 की धारा 89-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 89-क में,-

(क) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) कोई व्यक्ति जो, चाहे स्वप्रेरणा से, या किसी अन्य व्यक्ति की या सरकार के किसी विभाग की प्रेरणा से धारा 72 की उप-धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में जिसके अधीन किसी सुधार कार्य को हाथ में लेने या कार्यान्वित करने के लिए धारा 73 के अधीन अनुज्ञा दी गयी है, किसी नगरीय क्षेत्र में किसी भूमि में कोई सुधार कार्य हाथ में लेता है या कार्यान्वित करता है, तो वह ऐसे साधारण कारावास से जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और अपराध चालू रहने की दशा में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध, प्रथम अपराध करने के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के

पश्चात् चालू रहता है, पांच सौ रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा:

परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पन्द्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।";

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से दंडनीय होगा, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे साधारण कारावास से जो पंद्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु जो पैंतालीस दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा : " प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, पन्द्रह दिन से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।"।

8. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 में नयी धारा 90-क का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 90 के पश्चात् और विद्यमान धारा 91 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

90-क अप्राधिकृत सुधार को सील करने की शक्ति.- (1) न्यास, धारा 73-क, 90, 91-ख और 91-ग के अधीन किसी भी सुधार को रोकने के लिए कोई आदेश देने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, ऐसे सुधार की प्रकृति और विस्तार के बारे में किसी भी विवाद का निवारण करने के लिए, ऐसे सुधार को विहित रीति से सील करने का निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, न्यास के आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर-भीतर उस आदेश के विरुद्ध खंड आयुक्त को अपील कर सकेगा और खंड आयुक्त, अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, या तो अपील खारिज कर सकेगा या उस आदेश को पूर्णतः या उसके किसी भाग को उलट सकेगा या उसमें फेरफार कर सकेगा।

(3) जहां किसी सुधार को सील कर दिया गया हो वहां न्यास या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को निम्नलिखित के सिवाय नहीं हटायेगा-

(क) उप-धारा (3) के अधीन न्यास या प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश के अधीन; या

(ख) खंड आयुक्त या, यथास्थिति, राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन।

(5) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (4) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।"।

9. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 की धारा 91 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 91 में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या छः माह की कालावधि के साधारण कारावास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साधारण कारावास से जो एक मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा," प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और

तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, एक मास से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।"

10. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 की धारा 91-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 91-क में, विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (2) के अधीन खंड आयुक्त द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर-भीतर, ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य को चुनौती देते हुए राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका फाईल कर सकेगा और राज्य सरकार पुनरीक्षण के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे और राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।"

11. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 की धारा 92-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 92-क में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "एक मास" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन मास" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों से" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दो हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) उप-धारा (4) में,-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो मास से कम नहीं होगा किन्तु जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "|", के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, दो मास से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।";

(घ) उप-धारा (16) में-

- (i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर अभिव्यक्ति "जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- (ii) विद्यमान परन्तुक के अन्त में आये हुए विद्यमान विराम चिह्न "|" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।"।

12. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 में नयी धारा 93-ख का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 93-क के पश्चात् और विद्यमान धारा 94 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"93-ख अभिलेख मंगाने की शक्ति-(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन न्यास द्वारा या उसकी ओर से पारित या पारित किये गये समझे गये किसी आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा और ऐसा करने में, निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगित रखा जायेगा और उसे अग्रसर करने के लिए कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाये:

परन्तु किसी आदेश या किसी संकल्प से संबंधित अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और न्यास पर आबद्धकर होगा।"

13. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 की धारा 95-क का हटाया जाना-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 95-क हटायी जायेगी।

14. 1959 के राजस्थान अधिनियम सं 35 में नयी धारा 104-क का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 104 के

पश्चात् और विद्यमान धारा 105 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"104-क राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण की साधारण शक्ति-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को न्यास पर नियंत्रण की साधारण शक्ति होगी और वह ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना न्यास का कर्तव्य होगा।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 लगभग आधी शताब्दी पूर्व अधिनियमित किया गया था। यद्यपि इसको समय-समय पर संशोधित किया गया तो भी यह महसूस किया गया कि इसके कतिपय उपबंधों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप करने के लिए उनमें और सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 24-क एक न्यास से दूसरे न्यास या जयपुर विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों के स्थानान्तरण का उपबंध करती है। यह प्रस्तावित है कि एक न्यास से दूसरे न्यास में और साथ ही अन्य स्थानीय प्राधिकरणों अर्थात् नगरपालिकाओं, जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान आवासन बोर्ड में अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानान्तरण का उपबंध करने के लिए इस धारा को संशोधित किया जाये, तदनुसार धारा 24-क और धारा 74 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 72 यह उपबंधित करती है कि नगरीय क्षेत्र में कोई भी सुधार कार्य न्यास की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जायेगा। यह महसूस किया गया है कि इस उपबंध से उन व्यक्तियों को कठिनाई होती है जो ऐसे गौण सुधार करने के इच्छुक हैं जिनका स्थानिक योजना पर या तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता या केवल नगण्य

प्रभाव पड़ता है। इसलिए समुचित मामलों में, सुधार कार्यों के कतिपय वर्गों को, धारा 73 के अधीन के उपबंधों की अपेक्षा से छूट प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जाना समुचित समझा गया है। तदनुसार, धारा 72(1) में एक परन्तुक जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 73 ऐसे मामलों में समझी गयी अनुज्ञा का उपबंध करती है जहां आवेदक ने आवेदन की तारीख से एक मास की समाप्ति के पश्चात् न्यास को नोटिस दे दिया हो और ऐसे नोटिस के पश्चात् पन्द्रह दिन की कालावधि समाप्त हो चुकी हो। यह समझी गयी अनुज्ञा अनियमित सुधार कार्यों का मुख्य स्रोत बन गयी है। एक मास और पन्द्रह दिन की विद्यमान कालावधि बहुत कम है और इससे इस धारा के अधीन आवेदनों की संख्या को देखते हुए आवेदनों पर विचार करने और विनिश्चय करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं होता। अतः यह प्रस्तावित है कि, एक मास और पन्द्रह दिन की इस कालावधि को क्रमशः दो मास और एक मास तक बढ़ाया जाये। इस धारा के अधीकिये गये आदेश की अपील कलक्टर को की जाती है। इस उपबंध को अधिनियम के अन्य उपबंधों के समान करने के क्रम में यह प्रस्तावित है कि पूर्वोक्त आदेश को खंड आयुक्त, या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के अपील योग्य किया जाये।

राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि राज्य में निरंतर कम वर्षा होने के कारण जल की अत्यंत कमी है इसलिए भू-जल स्तर अत्यधिक रूप से कम हो गया है अतः जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करके वर्षा जल के संग्रहण के लिए उपायों को अपनाना आवश्यक है। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि उस क्षेत्र और भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, तीन सौ वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर संनिर्मित प्रत्येक भवन में जल संग्रहण प्रणाली अनिवार्य रूप से स्थापित की जानी चाहिए। किसी ऐसे विशिष्ट क्षेत्र को, जो राज्य सरकार की राय में उस क्षेत्र के भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसी जल संग्रहण प्रणाली के लिए समुचित नहीं है, जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करने से छूट देने के लिए, राज्य सरकार को सशक्त करना भी समुचित समझा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रणाली स्थापित करने में विफल रहता है तो वह ऐसे कारावास से, जो सात दिन तक का हो सकेगा, या

ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तावित है कि पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना और ऐसी प्रणाली स्थापित किये बिना कोई भी स्थायी जल-संबंध अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। तदनुसार, अधिनियम में एक नयी धारा 73-ग अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

भवन में अपेक्षित पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं कराना भवन के स्वामियों की सामान्य प्रवृत्ति है। यह प्रस्तावित है कि जब तक स्थल योजना और नक्शों में पार्किंग स्थान की व्यवस्था न की गयी हो तब तक विकास के लिए अनुज्ञा मंजूर नहीं की जायेगी और पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना और पार्किंग स्थान उपलब्ध कराये बिना किसी भी भवन को अधिभोग में नहीं लिया जायेगा और किया गया या जारी रखा गया कोई भी विकास अप्राधिकृत विकास समझा जायेगा और भवन में पार्किंग स्थान उपलब्ध कराये बिना कोई भी स्थायी जल-संबंध अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। भूमि के क्षेत्रफल और भवन की स्थिति और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, किसी भवन या भवनों के वर्ग को पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करने के लिए भी राज्य सरकार को सशक्त करना समुचित समझा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो वह ऐसे कारावास से जो सात दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायेगा। तदनुसार, अधिनियम में एक नयी धारा 73-घ अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है।

नगरीय क्षेत्रों में अप्राधिकृत संनिर्माण अत्यधिक हैं। अप्राधिकृत संनिर्माणों को रोकने के नगर सुधार न्यासों के आदेशों के बावजूद, अप्राधिकृत संनिर्माण निरन्तर हो रहे हैं। इस समस्या का सामना करने के लिए दो-तरफा नीति अपनायी जानी प्रस्तावित है। तदनुसार, अधिनियम में एक नयी धारा 90-क अन्तःस्थापित की जानी प्रस्तावित है ताकि एक तरफ तो चल रहे अप्राधिकृत संनिर्माण को बन्द करने के लिए सुधार न्यास को सशक्त किया जा सके और दूसरी तरफ धारा 89-क, 91 और 92-क को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है ताकि विद्यमान दंड में वृद्धि की जा सके और कतिपय मामलों में न्यूनतम दंड का उपबंध भी किया जा सके। जहां न्यूनतम दंड का उपबंध किया गया

है, वहां न्यायालय को, निर्णय में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त या विशेष कारणों से, न्यूनतम उपबंधित दंड से कम दंड अधिरोपित करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है।

धारा 91-क की उप-धारा (3) उपबंधित करती है कि खंड आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा। इससे जनता को कठिनाई होती है। अतः यह प्रस्तावित है कि व्यथित व्यक्ति राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका फाईल कर सकेगा।

चूंकि राज्य में, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय से निम्नतम स्तर का न्यायालय है, इसलिए धारा 95-क के उपबंध अब अनावश्यक हो गये हैं। इसलिए इन्हें हटाया जाना प्रस्तावित है।

न्यास के कार्यकरण पर राज्य सरकार का प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए, एक नयी धारा 93-क अंतःस्थापित करके न्यास और इसके अधिकारियों के संकल्पों या आदेशों के पुनरीक्षण की शक्तियां राज्य सरकार को प्रदान करने के लिए और एक नयी धारा 104-क अंतःस्थापित करके न्यासों के लिए ऐसे निदेश देने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जाना भी प्रस्तावित है जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित किये जाने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जायें।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5, जो राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में नयी धाराएं 73-ग और 73-घ अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, उन भवनों के संबंध में, जिनके लिए पूर्वोक्त धारा 73-ग और 73-घ के अधीन वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित करना और पार्किंग स्थान की व्यवस्था अनिवार्य है, वर्षा जल संग्रहण प्रणाली और पार्किंग स्थान के प्रकार और विशिष्टताएं विहित करने के लिए और वह रीति जिसमें पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा, विहित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 6, जो पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 74 की उप-धारा (1) के खण्ड () को प्रतिस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, वे शर्तें, जिनके अधीन किसी न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों को एक न्यास से दूसरे न्यास या किसी नगरपालिका या जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण या राजस्थान आवासन बोर्ड या किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया जा सकेगा, विहित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करेगा।

विधेयक का खण्ड 8, जो पूर्वोक्त अधिनियम में एक नयी धारा 90-क को अंतःस्थापित किये जाने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, वह रीति जिसमें कोई अप्राधिकृत विकास सील किया जा सकेगा, विहित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

शांति धारीवाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं 35)
से लिये गये उद्धरण

XX

XX

XX

XX

24-क स्थानान्तरण करने की शक्ति- किसी न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों को, धारा 74 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा किसी एक न्यास से दूसरे न्यास में या जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

XX

XX

XX

XX

72. नगरीय क्षेत्रों में सुधार पर निर्बन्धन.- (1) किसी नगरीय क्षेत्र में कोई सुधार-कार्य किसी व्यक्ति या सरकारी विभाग द्वारा तब तक प्रारम्भ या निष्पादित नहीं किया जायेगा, जब तक कि -

- (i) जहां मास्टर प्लान प्रवर्तन में हो, वहां वह उसके अनुसार न हो; या
- (ii) वह धारा 38 के अधीन मंजूर और अधिसूचित की गई स्कीम के अनुसार न हो; या
- (iii) जहां न तो कोई मास्टर प्लान और न कोई स्कीम प्रवृत्त हो वह न्यास के सामान्य अनुमोदन के अनुसार न हो;

और जब तक ऐसे सुधार कार्य को प्रारम्भ या कार्यान्वित करने के लिए धारा 73 के उपबन्धों के अधीन लिखित अनुज्ञा प्राप्त न कर ली गई हो।

(2)

XX

XX

XX

XX

73. अनुज्ञा के लिए आवेदन.- (1) से (7) XX XX

(8) जहां किसी नगरीय क्षेत्र में, सुधार कार्य प्रारम्भ या निष्पादित करने हेतु न्यास को कोई आवेदन विहित प्ररूप में तथा विहित फीस के साथ किया जाये और आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् न्यास एक मास तक अनुज्ञा प्रदान करने में या उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे आवेदन अस्वीकार करने में उपेक्षा बरतता है या लोप करता है तो आवेदक, लिखित संसूचना द्वारा न्यास का ध्यान लोप या उपेक्षा की ओर आकर्षित कर सकेगा और यदि ऐसा लोप या उपेक्षा ऐसी संसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की आगे और कालावधि तक बनी रहती है तो यह समझा जायेगा कि न्यास ने प्रस्तावित कार्य को पूर्णतः

अनुज्ञा प्रदान कर दी है और ऐसा कार्य नोटिस में विहित रीति से आगे बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन कोई सुधार कार्य प्रारम्भ या कार्यान्वित करने के पूर्व न्यास की अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा से भिन्न किसी विषय के संबंध में इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करने के लिये प्राधिकृत करने वाला, नहीं लगाया जायेगा।

(9) इस अधिनियम के अधीन न्यास द्वारा अधिरोपित शर्तों के अध्यक्षीन अनुज्ञा प्रदान करने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने के न्यास के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय को अपवर्जित करके, ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने या अनुज्ञा देने से इन्कार करने के आदेश से तीस दिन के भीतर कलक्टर को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश को इस तरह की अपील से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(10) XX XX XX

74. सरकार की नियम बनाने की शक्ति.-(1) राज्य सरकार निम्नलिखित के संबंध में इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी-

(क) से (ज) XX XX XX

(अज) ऐसी शर्त, जिनके अधीन किसी न्यास के अधिकारियों और कर्मचारियों को, धारा 24-क के अधीन, किसी एक न्यास से दूसरे न्यास में या जयपुर विकास प्राधिकरण में स्थानान्तरित किया जा सकेगा, विहित करने के लिए।

(ट) से (त) XX XX XX

(2) XX XX XX

XX XX XX XX

89क अधिनियम के उल्लंघन में किये गये सुधार कार्यों के लिये शास्ति.-(1) कोई व्यक्ति जो, चाहे स्वप्रेरणा से, या किसी अन्य व्यक्ति की या किसी सरकारी विभाग की प्रेरणा से धारा 72 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अध्यक्षीन किसी सुधार कार्य को हाथ में लेने या कार्यान्वित करने

के लिए धारा 73 के अधीन अनुज्ञा दी गई है, किसी नगरीय क्षेत्र में किसी भूमि में कोई सुधार कार्य प्रारम्भ या कार्यान्वित करता है, तो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और अपराध चालू रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध प्रथम अपराध करने के लिये सिद्धदोष ठहराये जाने के पश्चात् चालू रहता है, एक सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो धारा 72 की उप-धारा (2) के उल्लंघन में या उक्त उप-धारा के परन्तुक के अधीन विनियमों द्वारा विहित निबन्धनों एवं शर्तों के उल्लंघन में किसी भूमि या भवन का उपयोग करता है तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा।

XX

XX

XX

XX

91. धारा 90 के अधीन दिये गये नोटिस की अनुपालना के लिये शास्ति.- यदि कोई व्यक्ति, धारा 90 के अधीन सम्यक् रूप से नोटिस दिये जाने के पश्चात् परिनिर्माण, परितर्वन या परिवर्धन बन्द नहीं करता है या भवन या दीवार को नहीं गिराता है या उसमें परिवर्तन नहीं करता है तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या छः माह की कालावधि के साधारण कारावास से, या दोनों से दण्डनीय होगा और यदि न्यास द्वारा ऐसी प्रार्थना की जाये तो उक्त अप्राधिकृत संनिर्माण के मामले पर कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश से गिरा दिया जायेगा या उसमें परिवर्तन कर दिया जायेगा।

91-क भवनों आदि को गिराने का आदेश- (1) से (2) XX XX

(3) अपील में खण्ड आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा तथा उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

परन्तु जहां न्यास का कोई भी अधिकारी किसी भी निर्माण को हटाने या तोड़ने या अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है वहां व्यथित व्यक्ति उक्त धमकी की संसूचना या जानकारी उसे प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर, विवाद के न्याय-निराकरण के लिए, खण्ड आयुक्त को आवेदन कर सकेगा। खण्ड आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

XX

XX

XX

XX

92-क. सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण या बाधा-(1) जो कोई भी,-

- (क) ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान न्यास का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनाई गई सीढ़ियों के सिवाय, कोई अधिक्रमण करता है या अधिक्रमण करना जारी रखता है;
- (ख) यदि उसने राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1991 के पृवत्त होने के पूर्व ऐसा अधिक्रमण किया है, उस लिखित नोटिस की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर ऐसे अधिक्रमण को हटाने में विफल रहता है, जिसमें न्यास ऐसा करने की अपेक्षा की जाये,

दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा:

परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, एक मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जो कोई भी,-

- (क) ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान न्यास का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गई सीढ़ियों के सिवाय, बाधा उत्पन्न करता है या बाधा उत्पन्न करना जारी रखता है; या
- (ख) यदि उसने राजस्थान नगर सुधार (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रवृत्त होने के पूर्व ऐसी बाधा उत्पन्न की है, उस लिखित नोटिस की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर ऐसी बाधा को हटाने में

विफल रहता है, जिसमें न्यास द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाये,

दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(3) XX XX XX

(4) इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत न होते हुए जो कोई भी पूर्वोक्त किसी भी भूमि या स्थान से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री को हटाता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(5) से (15) XX XX XX

(16) इस धारा के अधीन दण्डनीय अधिक्रमण या बाधा को बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से न्यास के लिखित आदेश द्वारा विशेष रूप से न्यस्त जो कोई भी न्यास का कर्मचारी ऐसे अधिक्रमण या बाधा को बन्द करने या रोमें जानबूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है, या जानबूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय, न्यास की पूर्व मंजूरी के सिवाय, ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए संज्ञान नहीं लेगा।

(17) XX XX XX

95-क अपराधों का संज्ञान.-प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध पर विचारण नहीं करेगा।

XX XX XX XX

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा द्वारा पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच.आर. कुड़ी
सचिव।

(शांति धारीवाल, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 19 of 2010

**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT
(AMENDMENT) BILL, 2010**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill

further to amend the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(SHANTI DHARIWAL, **Minister-Incharge**)